डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 को संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात् :—

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनिमय, 2001 है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(दो) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है.) की धारा 16-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा 16-(ग) का अंत: स्थापना.**

"16-(ग) लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति"

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे और उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगी.

(2) पुनर्गठन स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में उपबन्ध होंगे :—

(क) पुनर्गठन की रीति;

(ख) पुनर्गठन की प्रक्रिया;

(ग) सदस्यता, रजिस्ट्रेशन, प्रबंध, आस्तियां और दायित्व, शक्तियां, अधिकार, हित, कर्त्तव्य, कर्मचारीवृंद ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों की सेवा की शर्तें जो पुनर्गठन के पश्चात् बनाए गए हों;

(घ) ऐसे अन्य पारिणामिक, आनुषांगिक और अनुपूरक उपबंध जैसा कि आवश्यक हो.

(ङ) अन्य ऐसे विषय जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाएं.

(3) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन जारी किन्हीं आदेशों या बनाई गई किसी पुनर्गठन स्कीम को उपान्तरित या निरस्त कर सकेगी.

(4) प्रत्येक पुनर्गठन स्कीम के संबंध में उपबंध और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश हितबद्ध पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे.

(5) ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी.

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

चूंकि नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन को नए राज्य छत्तीसगढ़ की संरचना की गई है जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यमान सोसाइटियों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई इसलिए लोकहित में यह आवश्यक हो गया है कि राज्य में कुछ विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाए.

2. विद्यमान छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके द्वारा एक से अधिक सोसाइटियों का इस रीति से गठन किया जाय कि विद्यमान सोसाइटियों से भिन्न अधिक संख्या में सोसाइटियों का गठन किया जा सके. अत: लोकहित में तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया.

3. अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. प्रेमसाय सिंह
भारसाधक सदस्य.

रायपुर :
दिनांक : 23 जुलाई, 2001

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.